

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स)(04)डीएलबी / 2022 / 19483


दिनांक: 21-10-2022

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र डाणियाँ पुत्र श्री रामचन्द्र डाणियाँ अधिवक्ता (रजि. आर/90/2017) निवासी-दाँतारामगढ़ जिला-सीकर को नवगठित नगर पालिका दाँता के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार, एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानदेय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.2013 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.2014 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगर पालिका दाँता जिला सीकर से देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स)(04)डीएलबी / 2022 / 19484-19491

दिनांक: 21-10-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर।
4. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका दाँता जिला-सीकर।
6. श्री जितेन्द्र डाणियाँ, अधिवक्ता मार्फत नगर पालिका दाँता जिला-सीकर।
7. प्रोग्रामर/IT सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली



वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी